<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>घनश्याम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)
सू.अ.अपील संख्या 140/2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>30.06.22</td><td>अपीलार्थी घनश्याम निवासी प्लॉट न. 05, पूर्वी आरती नगर, पाल गांव के पास, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2022 में उसके द्वारा (1) दिनचर्या बही के मासिक सारांश की प्रतिलिपि (01.10.2020 से 30.09.2021 तक) (2) स्टॉक रजिस्टर की प्रति (01.10.2020 से 30.09.2021 तक) (3) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>